रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3, 1972/ज्येष्ठ 13, 1894

No. 281] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 1972/JYAISTHA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 3rd June 1972

S.O. 496(E)/18(B)/IDRA/72.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government have authorised under the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development S.O. 333(E), dated the 4th May, 1972, the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, New Delhi (hereinafter referred to as Authorised Controller), to take over the management of the whole of the Industrial undertaking, namely, Smith, Stanistreet & Co., Ltd., Calcutta;

And whereas the Authorised Controller has taken over the management of the said undertaking on the 8th May, 1972;

And whereas, the Central Government is satisfied that the authorised Controller has to be vested with certain borrowing powers to fulfil the objects for which the said undertaking is established;

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (4) of Section 18B of the said Act, the Central Government hereby directs that, notwithstanding anything contained in the articles of association of the said undertaking, the Authorised Controller may borrow or secure the payment of any sum or sums of money for the purpose of the said undertaking, as may be required from time to time.

[No. F. 4(2)/72-C.U.C.]

(Sd.) Illegible, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1972

का० आ० 406(अ)/18(बी)/आई०डी०आर०ए०/72.—यतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश का० आ० 333(ई) तारीख 4 मई, 1972 के अधीन सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम अर्थात् स्मिथ, स्टैनी स्ट्रीट ऐण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता, के प्रबन्ध को ग्रहण करने के लिए इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली (जिसे इसमें आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) को प्राधिकृत किया है ।

और यतः प्राधिकृत नियंत्रक ने उक्त उपक्रम का प्रबन्ध 8 मई, 1972 को ग्रहण कर लिया है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि प्राधिकृत नियंत्रक में, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिनके लिए उक्त उपक्रम की स्थापना की गई है, कतिपय उधार लेने की शक्तियां निहित की जानी चाहिएं ।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 18ख की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त उपक्रम के संगम अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत नियंत्रक उक्त उपक्रम के प्रयोजन के लिए कोई धन-राशि या धनराशियां उधार ले सकेगा या उनका संदाय प्रतिभूत कर सकेगा, जैसा कि समय समय पर अपेक्षित हो ।

[सं० फा० 4(2)/72-सी० यू० सी०]

(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972